## न्यायालयः- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 197 / 18

राजेश सिंह पुत्र रामस्वरूप जाटव आयु 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 05 रिटयन का पुरा गोहद परगना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

——-आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्उ

———अनावेदक

11-06-2018

आवेदक / अभियुक्त राजेश सिंह की ओर से श्री आर.एस. कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय सुश्री प्रतिष्टा अवस्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद से मूल आपराधिक प्र०क० 236 / 18 प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त राजेश सिंह की ओर से श्री आर.एस. कुशवाह अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त आवेदक / अभियुक्त की ओर से उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त राजेश सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना गोहद ने आवेदक को गलत तथ्यों के आधार पर आरोपी बनाया है, सहअभियुक्त दीपू व रिव की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार हो चुकी है। सहअभियुक्त का अपराध आवेदक के अपराध से भिन्न नहीं है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक के परिवार में नावालिग बच्चे हैं तथा वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन—पोषण करता है। कथित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप

का होना बताते हुये प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को इटायली रोड़ गोहद में आवेदक / अभियुक्त सहित अन्य 700–800 सहअभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डा व सिरया से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुये बलवा कर पुलिस पार्टी पर पथराव करते हुय शासकीय वाहनों में तोड़फोड़ कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है तथा शासकीय कार्यों में बाधा डाली गई है तथा लोक सेवक नरेंद्र सिंह एवं आशीष शर्मा को भी चोटें पहुंचाई गई हैं।

उक्त घटना के संबंध में धारा 147, 148, 149, 336, 186, 353, 332 भा0दं०वि० के अंतर्गत थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 83/18 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.04.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है एवं प्रकरण के निराकरण मे विलंब की संभावना है तथा आवेदक/अभियुक्त राजेश को मजदूर पेशा परिवार का कर्ता—धर्ता व नावालिग बच्चे होना बताया गया है एवं आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना भी प्रकरण के अवलोकन से दर्शित नहीं है और मामले में सहअभियुक्त रिव व दीपू की नियमित जमानत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी नंबर 21029/18 में पारित आदेश दिनांक 04.06.18 के द्वारा हो चुकी है तथा आवेदक/अभियुक्त राजेश का मामले में कृत्य नियमित जमानत का लाभ प्राप्त कर चुके सहअभियुक्त गण रिव व दीपू के कृत्य से विशिष्ट रूप से भिन्न होना दर्शित नहीं है।

अतः समानता के आधार सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तों सहित 25000—25000 / — रूपये की दो सक्षम जमानतें एवं 50000 / — रूपये का बंधपत्र पेश होने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा से उन्मुक्त किये जाने हेतु विधिवत रिहाई आदेश जारी हो। शर्ते:—

- 1-The petioners will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;
- 2-The petioners will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

- 3- The petioners will not indulge themselves in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;
- 4- The petioners shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused;
- 5- The petioners will not seek unnecessary adjournments during the trial; and
- 6- the petioners will not leave india without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be.

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख विधिवत वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद